न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 38/2022 (GCMS No. 2022/40) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. शिवचरन पुत्र बीघा जाति काछी निवासी तसीमों तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

..........अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील सैंपऊ जरिये लैण्ड होल्डर।

.........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 07.03.2022 मुकदमा नं. 32/2021 उनवानी शिवचरन बनाम तहसीलदार सैंपऊ एवं निर्णय न्यायालय तहसीलदार सैंपऊ दिनांक 26.12.2018 प्रकरण संख्या 524/2018 उनवान सरकार बनाम शिवचरन अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट।

उपस्थितिः–
1. अपीलांट की ओर से श्री हरवीर सिंह, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार।

नि र्ण य **दिनांक : 22.03.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 07.03.2022 एवं तहसीलदार सैंपऊ के आदेश दिनांक 26.12.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है कि अपीलांट द्वारा संवत् 2075 रवी में आराजी खसरा नम्बर 2119 रकव 1 बीघा 13 विस्वा में से रकवा 1 बीघा 10 विस्वा, ख.नं. 2122 रकवा 3 विस्वा, ख.नं. 2123 रकवा 15 विस्वा में से 2 विस्वा वांके ग्राम तसीमों जिला धौलपुर पर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर लगान का 50 गुना शास्ति आरोपित कर बेदखल करने तथा तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के यहाँ की।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जिन्होनें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय को सही मानने हुये अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 2119 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा, 2123 रकवा 15 विस्वा वांके ग्राम तसीमों अपीलांट के पूर्व पुरूष ग्यासी पुत्र गोधन को सम्वत् 2025 से कब्जा होने के कारण उनके हक में दिनांक 14.12.1973 को आवंटन कमेटी द्वारा नियमन कर दिया गया। नियमन आदेश का नोट तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर में दर्ज हुआ लेकिन नियमन के तहत राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पूर्व पुरूष ग्यासी का नाम दर्ज नहीं हो पाया जिससे उसके नामजद कब्जे को पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करता रहा और आराजी सिवायचक बनी रही। उनके नाम का इन्द्राज बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होना चाहिए। जब तक स्व. ग्यासी जिन्दा था तब तक सिवायचक आराजी पर काबिज होकर काश्त करता रहा है। निधन के बाद विवादित आराजी पर अपीलांट की माता स्व. रामश्री एवं पिता स्व. बीधा निर्विवाद रूप से काबिज होकर काश्त करते रहे हैं। सन 1995 में ग्राम तसीमों के ही नत्थी पुत्र गोकुला एवं किरोरी पुत्र हुक्मी ने अपीलांट को जानकारी दी कि विवादग्रस्त आराजी उनके नाम आवंटन हो चुकी है। तब अपीलांट के माता पिता ने जानकारी की तो नत्थी व किरोरी ने गुपचुप तरीके से दिनांक 14.07.1975 को आवंटन आदेश दिनांक 02.06.1989 के आधार पर नामांतरकरण करा लिया। अपीलांट की माता रामश्री द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में एक अपील आवंटन कमेटी के आवंटन आदेश दिनांक 02.06.1989 के विरूद्व पेश की जिस पर न्यायालय ने दिनांक 23.03.2002 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी नत्थी व किरोरी के आवंटन आदेश दिनांक 02.06.1989 निरस्त कर दिया। जिसके बाद नत्थी व किरोरी के वारिसान द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी 1717/2003 प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 16.06.2017 को मियाद के बिन्दु पर निर्णय हेतु भू प्रबंध पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर को प्रतिप्रेषित कर दी जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रकरण विचाराधीन होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवादग्रस्त आराजी की जॉच कराये अपीलांट के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की है। तहसीलदार सैंपऊ द्वारा अपीलांट की न तो विधिवत तामील कराई और न ही कोई सम्मन तामील हुआ। बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट के विरूद्व निर्णय

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर

पारित कर दिया गया। विधिवत तामील होने पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करता। पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयान एवं प्रार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताया है किन्तु अपने निर्णय में यह नहीं बताया कि कितने वर्ष पुराना कब्जा है और किस वर्ष में अपीलांट द्वारा कब्जा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया गया। अपीलांट के पूर्व पुरूष स्व. ग्यासी पुत्र गोधना जाति काछी निवासी तसीमों को सम्वत् 2025 से कब्जा होने के कारण उनके हक में दिनांक 14.12.1973 को आवंटन कमेटी द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर नियमन कर दिया। इस प्रकार एक तरफ तो तहसीलदार नियमन की सिफारिश करते हैं और दूसरी तरफ अतिक्रमण मानते हुये सजा करते है। तहसीलदार का यह कृत्य विरोधाभाषी है। प्रकरण में विवादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि नहीं है। राजस्व मण्डल के निर्णय से नत्थी एवं किरोरी के नाम हुआ आवंटन बहाल हो चुका है। अपीलांट की अपील न्यायालय भू प्रबंध पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में विचाराधीन है। अपीलांट की अपील खारिज होने पर अपीलांट को थाना सैंपऊ की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का भय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2018 एवं नर्णय दिनांक 07.03.2022 निरस्त किये जाकर अपीलांट की सिविल कारावास की सजा माफ की जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करते हैं। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से होती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का मुख्य रूप से कथन है कि विवादित आराजी अपीलांट के पूर्व पुरूष स्व. ग्यासी पुत्र गोधना को सम्वत् 2025 से कब्जा होने के कारण उनके हक में दिनांक 14.12.1973 को पुराने कब्जे के आधार पर नियमन कर दिया। नियमन आदेश का नोट तहसील राजस्व लेखागार के रजिस्टर में दर्ज हुआ लेकिन अपीलांट के पूर्व पुरूष स्व. ग्यासी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पाया और आराजी सिवायचक बनी रही। सन 1995 में ग्राम तसीमों के ही नत्थी पुत्र गोकुला एवं किरोरी पुत्र हुक्मी ने अपीलांट को जानकारी दी कि विवादग्रस्त आराजी उनके नाम आवंटन हो चुकी है। तब अपीलांट के माता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पिता ने जानकारी की तो नत्थी व किरोरी ने गुपचुप तरीके से दिनांक 14.07.1975 को आवंटन आदेश दिनांक 02.06.1989 के आधार पर नामांतरकरण करा लिया। अपीलांट की माता रामश्री द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में एक अपील आवंटन कमेटी के आवंटन आदेश दिनांक 02.06.1989 के विरूद्व पेश की जिस पर न्यायालय ने दिनांक 23.03.2002 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी नत्थी व किरोरी के आवंटन आदेश दिनांक 02.06.1989 निरस्त कर दिया। जिसके बाद नत्थी व किरोरी के वारिसान द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी 1717/2003 प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 16.06.2017 को मियाद के बिन्दु पर निर्णय हेतु भू प्रबंध पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर को प्रतिप्रेषित कर दी जो वर्तमान में विचाराधीन है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट का अवैध कब्जा है तथा रिकार्ड में भूमि सिवायचक है। राजकीय भूमि पर किया गया अवैध कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसंगत होने से हमारी विनम्र राय में उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 07.03.2022 एवं तहसीलदार सैंपऊ का निर्णय दिनांक 26.12.2018 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 22.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर 22/3/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर